

(राज्य सरकार के आदेश 36129 दिनांक 15.1.20 के अधीन)

क्रमांक- 1	विक्रय पत्र अथवा गिफ्ट डीड अथवा  हकत्याग पत्र अथवा  न्यायालय आदेश के प्रकरणों में नामान्तरण प्रकरणों में	: स्वयं घोषणा पत्र : फोटो आई.डी. (आधारकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आई.डी. : हकत्याग पत्र प्रति अथवा न्यायालय निर्णय की प्रमाणित प्रति (जो भी लागू हो) लीज डीड (पट्टा) प्रति : न्यायालय वादों के प्रकरणों में नो अपील पेन्डिंग / पेन्डिंग निर्णय अन्य : न्यायालय (न्यायालय निर्णय वाद)।
क्रमांक- 2	वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रकरण	: स्वयं घोषणा पत्र : फोटो आई.डी. (आधारकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आई.डी. : पंजीकृत वसीयत अथवा अपंजीकृत साथ में दो गवाहों द्वारा गवाहीशुदा : मृत्यु प्रमाण पत्र : लीज डीड (पट्टा) जारी हो अथवा नहीं।
क्रमांक- 3	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरण प्रकरण	: स्वयं घोषणा पत्र : फोटो आई.डी. सरकार द्वारा जारी (आधारकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / वोटर आई.डी. : मृत्यु प्रमाण पत्र : लीज डीड (पट्टा) जारी हो अथवा नहीं।

नामान्तरण शुल्क— प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में जारी दिशा निर्देशों अनुसार नामान्तरण शुल्क निम्नानुसार है :-

300 वर्गमीटर तक— 1000/- रु.

300 वर्गमीटर से अधिक— 4000/- रु.

मृत्यु के प्रकरण में नामान्तरण शुल्क देय नहीं है।